न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/19/2025	2025/161	03.06.2025	23.02.2025

1. श्रीमती कमला विधवा हरी सिंह, जाति धानका, निवासी बुर्जा तहसील मालाखेडा जिला अलवर
2. रोहताश पुत्र स्वर्गीय हरी सिंह, जाति धानका, निवासी बुर्जा तहसील व जिला अलवर
3. कृष्ण कुमार महाराज पुत्र स्वर्गीय श्री हरी सिंह, जाति धानका निवासी बुर्जा तहसील मालाखेडा जिला अलवर।
4. सन्तोष पुत्र स्व० हरी सिंह, धानका निबुर्जा
5. लक्ष्मी पुत्री स्व० हरी सिंह पत्नी श्री गुन्ना,
6. बिमला पुत्रीस्व.श्री हरी सिंह, पत्नी जयसिंह
7. सीमा पुत्री स्व० हरी सिंह पत्नी श्री फूल सिंह, जातियान धानका निवासीयान भडोली तहसील मालाखेडा जिला अलवर

—अपीलाण्ट

बनाम

1. श्रीमती लक्ष्मी पत्नी गिर्राज, पुत्र श्योदान
2. आकांक्षा पुत्री गिर्राज, पुत्र श्योदान
3. योगिता पुत्री गिर्राज, पुत्र श्योदान
4. नवल पुत्र गिर्राज, पुत्र श्योदान
5. शकुन्तला बेवा रामौतार, पुत्र श्योदान
6. मुकेश कुमार पुत्र रामौतार, पुत्र श्योदान
7. भजन लाल पुत्र रामौतार, पुत्र श्योदान
8. राकेश पुत्र रामौतार, पुत्र श्योदान
9. कुशल पुत्र समाचार पुत्र श्योदान
10. देवी सहाय पुत्र श्योदान, पुत्र श्योदान
11. रमेश पुत्र श्योदान, जातियान बैरवा, निवासीयान ग्राम बुर्जा, तहसील मालाखेडा जिला अलवर
12. उप तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवर।

—असल रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध उप—तहसीलदार मालाखेडा दिनांक 06.10.2001 इन्तकाल संख्या—105 वाके ग्राम बुर्जा तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज0।

उपस्थितः—
01—श्री पुष्करराज मुखिजा —वकील अपीलान्टान
02—श्री गणपत सिंह नरूका —वकील रेस्पोडेन्टान
03—श्री दीपक मीना (पेरोकार सरकार) —राजकीय अधिवक्ता

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

–:निर्णय:–

वकील अपीलाण्ट ने यह अपील विरूद्ध उप–तहसीलदार मालाखेड़ा के निर्णय दिनांक 06.10.2001 नामान्तकरण संख्या 105 वाके ग्राम बुर्जा तहसील मालाखेड़ा स्वीकार किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभय पक्ष विद्वान वकील की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वाकै ग्राम बुर्जा तहसील मालाखेड़ा में अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर–821 रकबा 0.32, आराजी खसरा नम्बर 822 रकबा 0.01 व आराजी खसरा नम्बर– 760/925 रकबा 0.40 हैक्टेर कुल किता 3 कुल रकबा 0.63 एयर स्थित है जिस आराजी से रेस्पोडेन्ट अथवा किसी अन्य व्यक्ति का ताल्लुक व सरोकार किसी किस्म का नहीं है। उक्त आराजी अपीलान्ट संख्या–1 कमला के पति स्वर्गीय श्री हरी सिंह व अपीलान्ट संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7 के पिता स्वर्गीय श्री हरी सिंह जाति धानका की खातेदारी की है। अपीलान्ट संख्या– 1 ला० 7 स्वर्गीय हरी सिंह के जायज वारिसान हैं जो उसके मरने के उपरान्त उक्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं और मौके पर अपीलान्ट की फसल मौजूद है। अपीलान्ट की उक्त खातेदारी की आराजी का अवैध/फर्जी बेचान श्योदान पुत्र बुद्धा, जाति बैरवा ने दिनांक 15.06.89 को अपने नाम से करा लिया तथा बद्यान्ती पूर्वक उक्त फर्जी बेचान के आधार पर दिनांक 6.10.2001 को इन्तकाल संख्या–105 प्रशासन गांव के संग अभियान में उप तहसीलदार मालाखेडा से मिलकर अपने पक्ष में स्वीकृत करा दिया। रैस्पौडेन्ट संख्या–1 ला० 11 जो मृतक श्योदान के वारिसान है जो अवैध इन्तकाल दर्ज होने के कारण अपीलान्ट की आराजी पर कब्जा करना चाहते हैं जबकि स्वर्गीय हरी सिंह जाति धानका द्वारा किसी प्रकार का कोई बेचान श्योदान पुत्र बुद्धा जाति बैरवा को नहीं किया गया। ना ही उसे अनुसूचित जाति के व्यक्ति को बेचान करने का अधिकार था। अपीलान्टान संख्या–1 के पति व अपीलान्ट संख्या–2 ला0 7 के पिता स्वर्गीय श्री हरी सिंह पुत्र मोहन जो कि जाति से धानका हैं जो अनुसूचित जन जाति की श्रेणी में आता है तथा रेस्पोडेन्ट जाति से बैरवा है जो जाति से अनुसूचित जाति के व्यक्ति है। जो धानका (अनुसूचित जनजाति) के व्यक्ति की आराजी का नामान्तरण अपने नाम से दर्ज नहीं करवा सकते। इस कारण नामान्तरण संख्या – 105 दिनांक 06.10.2001 अवैध नामान्तरण होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। दिनांक 20.03.2025 को अपनी आराजी में बोई हुई फसल में निराई करने गये तो समस्त रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट से झगडा करने पर उतारू हो गये और अपीलान्ट को ये धमकी दी की वह अपीलान्ट की उक्त आराजी पर कब्जा करके रहेगे क्योंकि उन्होने उक्त आराजी को हरी सिंह से खरीद कर लिया था। इस पर अपीलान्टस दिनांक 21.03.2025 को अपने वकील साहब से मिले जिन्होने तहसील मालाखेडा में रेवन्यू रिकार्ड का अवलोकन किया और अवलोकन कर हम अपीलान्ट को बताया की हगारी उक्त खातेदारी की आराजी का अवैध नामान्तरण संख्या–105 वाकै ग्राम बुर्जा का श्योदान पुत्र बुद्धा बैरवा के नाम दर्ज हो रखा है। इस पर अपीलान्टान ने प्रार्थना पत्र दिनांक 21.3.2025 पेश कर नामान्तरण की नकल दिनांक 24.03.2025 को प्राप्त की। तब दिनांक 24.03.2025 को उक्त अवैध/फर्जी नामान्तरण की जानकारी प्राप्त हुई और बिना देरी अपीलान्टान द्वारा आज दिनांक 28.03.2025 को न्यायालय श्रीमान् में अपील पेश कर दी जो कि जानकारी होने की तारीख से अन्दर अवधि पेश है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

रेस्पोडेन्ट के बुजुर्ग श्योदान द्वारा उप तहसीलदार मालाखेडा व आइ एल आर मालाखेडा व पटवारी हल्का दादर से मिलकर प्रशारान गांव के रांग अभियान के तहत यह अवैध नामान्तरण दिनांक 06.10. 2001 को दर्ज करवाया जबकि बयनामा दिनांक 15.06. 1989 का पंजीबद्ध होना बताया बयनामा के लगभग 12 वर्ष पश्चात् म्याद बाहर अवैध नामान्तरण करण दर्ज कराया गया। जो सरासर गलत है। उप तहसीलदार मालाखेडा द्वारा सही तथ्यों की जानकारी लिये बिना खिलाफ कानून अवैध नामान्तरण करण स्वीकार किया गया जो निरस्त किये जाने योग्य है। प्रथम दृष्ट्या प्रतीत होता है कि मृतक श्योदान ने जानबूझ कर बयनामा अवैध होने के कारण 12 वर्ष तक नामान्तरण करण हेतु तहसीलदार अथवा ग्राम पंचायत के कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया और बदयान्ती पूर्वक प्रशारान गांव के संग अभियान में उप तहसीलदार मालाखेडा आइ एल आर एवं पटवारी हल्का से साज बाज होकर यह अवैध नामान्तरण करण अपने नाम दर्ज करा लिया और इसकी जानकारी नहीं दी। तथा श्योदान के वारिसान ने दिनांक 20.03.2025 को बताया कि उन्होने उक्त आराजी अपने नाम करा ली है। अपीलांट ने मृतक हरी सिंह का राशन कार्ड की प्रति और प्रमाण–पत्र दिनांक 17.01.2026 पं0 गिर्राज प्रसाद जागा की प्रति एवं परिपत्र राजस्व (ग्रुप 6 विभाग) दिनांक 11.01.2012 एवं नजीर RRD1981 पेज सं0 283 प्रस्तुत की गई।

अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि इन्तकाल संख्या – 105 दिनांक 10.06.2001 ग्राम बुर्जा तहसील मालाखेडा निरस्त फरमाया जावे। तथा खर्चा मुकदमा व दीगर दादरसी जो न्यायोचित हो अपीलान्ट्स को दिलाया जावे।

वकील रेस्पो0 ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया गया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मौजूदा अपील व प्रार्थना–पत्र दफा 5 मियाद कानून 24 वर्ष की देरी से पेश की है जिसका कोई युक्ति युक्त कारण एवं देरी की अवधी को कण्डोन किये जाने बाबत कोई संतोषजनक दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। जबकि अपीलांट को शुरू से उक्त आराजी की जानकारी रही है। अतः प्रार्थना–पत्र एवं अपील अपीलांट काबिल खारिज योग्य है। आराजी खसरा नं0 760/925, 821, 822 किता 3 कुल रकबा 0.63 है० वाके ग्राम बुर्जा तहसील मालाखेडा मृतक हरी सिंह बलई की खातेदारी की थी जिसको मृतक हरी सिंह ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 15.061989 को क्रेता रेस्पो0 के पिता श्योदान पुत्र बुद्धा जाति बैरवा के पक्ष में उप–पंजीयक कार्यालय अलवर मे पंजीबद्ध करवाया गया। उक्त पंजीबद्ध बयनामा के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मालाखेडा के द्वारा दिनांक 06.10.2001 को नामांतकरण सं0 105 रेस्पो0 के पक्ष में दर्ज एवं तस्दीक किया गया। उक्त बयनामा राजस्व रिकॉर्ड जामाबंदी के अनुसार हरी सिंह बलाई ने खातेदार की हैसियत से उक्त आराजी को रेस्पो0 के बुजुर्ग श्योदान को प्रतिफल राशि प्राप्त कर विक्रय की थी। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2039 के खाता सं0 206, इकरारनामा दिनांक 08.02.1989 बहक हरी सिंह, पटवारी हल्का रसीद सं0 057262 दिनांक 19.06.1990 व 054363 दिनांक 02/1993 संवत 2049, एवं बंदोबस्त विभाग मिशल जमाबंदी संवत 2051 से 2070 तक में खाता सं0 231 में उक्त मृतक हरिसिंह की जाति बलाई दर्ज की गई है जो अनुसूचित जाति राजस्थान की सूची में बलाई जाति दर्ज की हुई है। लेकिन अपीलांट ने कूटरचित दस्तावेजो के आधार पर राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से विशेष लाभ लेने की गरज से अपनी जाति को बदल कर बलाई के स्थान पर धानका करवा लिया तथा विवादित आराजी पर मिन रेस्पो0 बहैसियत बोनाफाइड परचेजर आराजी पर चले आ रहे हैं। अपीलांट काबिज गैर वारता व्यक्ति है। अपीलांट ने अपील में वर्णित किया है कि बयनामा कूटरचना से कराया जाना बताया गया है। यदि ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपीलांट के पास है तो उनके द्वारा फौजदारी प्रकरण

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

क्यों दर्ज नहीं किया गया या बयनामे को सिविल न्यायालय में क्यों चेलैंज नहीं किया गया जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट ने गलत तथ्यों के आधार पर अपील दायर की गई है। अपील पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किये जाने के योग्य है।

राजकीय अधिवक्ता पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों के क्रम में निवेदन किया गया है कि अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड एवं बयनामा के आधार पर नामांतकरण सं. 105 दिनांक 06.10.2001 वाके ग्राम बुर्जा उप–तहसील मालाखेडा हाल तहसील मालाखेडा दर्ज तस्दीक किया गया है, जो नियमानुसार किया गया है। अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर चिंतन मनन किया गया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन किया गया। सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट्स द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.10.2001 के विरूद्ध जानकारी होने पर नामांतकरण की नकल आदि प्राप्त कर दिनांक 28.03.2025 को पेश की गयी है। रेस्पो0 ने अपने जवाब में अंकित किया है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मौजूदा अपील व प्रार्थना–पत्र दफा 5 मियाद कानून 24 वर्ष की देरी से पेश की है जिसका कोई युक्तियुक्त कारण एवं देरी की अवधी को कण्डोन किये जाने बाबत कोई संतोषजनक दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। जबकि अपीलांट को शुरू से उक्त आराजी की जानकारी रही है। अतः प्रार्थना–पत्र एवं अपील अपीलांट काबिल खारिज योग्य है परन्तु उक्त विवादित अपीलीय प्रकरण में अपीलांट का हित निहित है। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रूख अपनाते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित करने का सिद्धांत प्रतिपादित किया हुआ है। अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलांट का मुख्य कथन है कि आराजी खसरा नं0 821 रकबा 0.32 है0 822 रकबा 0.01 है0 एवं खसरा नं0 760/925 रकबा 0.40 है0 कुल किता 3 रकबा 0.63 है0 वाके ग्राम बुर्जा तहसीला मालाखेडा अपीलांट की खातेदारी की आराजी है जिसमें रेस्पो0 अथवा अन्य व्यक्तियों का ताल्लुक व सरोकार नहीं है। अपीलांट की खातेदारी आराजी का अवैध/फर्जी बेचान श्योदान पुत्र बुद्धा जाति बैरवा के नाम दिनांक 15.06.1989 को अपने नाम करा लिया गया है एवं उक्त कूटरचित व फर्जी बयनामा के आधार पर दिनांक 06.10.2001 को इंतकाल सं0 105 प्रशासन गांव के संग अभियान में उप–तहसीलदार मालाखेडा से मिलकर अपने पक्ष में दर्ज करा लिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर एवं अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये नामांतकरण सं 105 दर्ज व तस्दीक किया गया है। अपीलांट के पिता मृतक हरीसिंह की जाति बलाई नहीं हो कर धानका थी जो अनुसूचित जनजाति वर्ग में आती है जिसका बेचान अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने गलत तथ्यों के आधार पर नामांतकरण सं0 105 तस्दीक किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि जमाबंदी संवत 2039 के खाता सं0 206 एवं बयनामा दिनांक 15.06.1989/ नामांतकरण सं 105 बय इकरारनामा दिनांक 08.02.1989 पटवारी हल्का रसीद सं0 057262 दिनांक 19.06.1990 संवत 2047, 054363 दिनांक 02/1993 संवत 2049 एवं बन्दोबस्त विभाग मिसल जामाबंदी संवत 2051 से 2070 तक खाता सं0 231 में उक्त हरीसिंह (मृतक) की जाति बलाई दर्ज की गई है। उक्त नामांतकरण सं0 105 बयनामा मृतक हरीसिंह के द्वारा विक्रेता रेस्पो0 के पिता श्योदान पुत्र बुद्ध कौम बैरवा के पक्ष में तस्दीक किये जाने पर दर्ज किया गया है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

उक्त सभी तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत बयनामा दिनांक 15.06.1989 के आधार पर उचित एवं नियमानुसार नामान्तकरण दर्ज किया गया है, फिर भी अपीलांट को बलाई जाति का गलत प्रकार से उपयोग कर विधिविरूद्ध तरीके से आराजी का बेचान किया गया है तो वे सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज नामांतकरण सं0 105 दिनांक 06.10.2001 में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाई जाती है। अतः अपील अपीलांट पोषणीय नहीं होने पर खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मालाखेड़ा द्वारा पारित आदेश नामांतकरण सं० 105 दिनांक 06.10.2001 वाके ग्राम बुर्जा हाल तहसील मालाखेडा को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर रो कम होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर,
अलवर (राज०)